

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2021 — पौष 28, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 जनवरी 2021

क्रमांक 779/डी. 15/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-01-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम, 2020

वित्तीय वर्ष 2020-2021 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|--|----|--|
| संक्षिप्त नाम. | 1. | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र. 4) अधिनियम, 2020 कहलाएगा. |
| वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य की संचित निधि में से 23,86,57,95,800 रुपये का दिया जाना. | 2. | छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2020 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 23,86,57,95,800 (दो हजार तीन सौ छियासी करोड़ सनतावन लाख पनचानबे हजार आठ सौ रुपये) रुपये होता है उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे. |
| विनियोग. | 3. | इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी. |

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)	
		रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व 0	2,07,39,00,200	2,07,39,00,200
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व 1,00,00,000	0	1,00,00,000
03	पुलिस	राजस्व 50,60,00,000 पूंजी 6,51,00,000	0 0	50,60,00,000 6,51,00,000
10	वन	राजस्व 2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 2,08,45,00,000	0	2,08,45,00,000
13	कृषि	राजस्व 42,00,00,000	0	42,00,00,000

(1)	(2)	(3)	रुपये	रुपये	रुपये
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी	13,28,00,000	0	13,28,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	100	0	100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	25,89,00,000	0	25,89,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	100	100	200
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	74,00,000	0	74,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	8,02,00,000	0	8,02,00,000
36	परिवहन	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	2,98,84,40,000	0	2,98,84,40,000
		पूंजी	300	0	300
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	200	0	200
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	200	0	200
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,62,68,37,000	0	1,62,68,37,000
		पूंजी	78,03,39,100	0	78,03,39,100
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	पूंजी	5,00,00,100	0	5,00,00,100
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	200	0	200
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		पूंजी	1,18,20,000	0	1,18,20,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	6,68,71,86,000	0	6,68,71,86,000

(1)		(2)		(3)	
		रुपये	रुपये	रुपये	
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	3,74,73,72,000	0	3,74,73,72,000
		पूंजी	29,00,00,000	0	29,00,00,000
योग -		राजस्व	20,46,18,35,300	2,07,39,00,300	22,53,57,35,600
		पूंजी	1,33,00,60,200	0	1,33,00,60,200
वृहद योग			21,79,18,95,500	2,07,39,00,300	23,86,57,95,800

अटल नगर, दिनांक 18 जनवरी 2021

क्रमांक 779/डी. 15/21-अ/प्रारू./छ. ग. /21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 18-01-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 1 of 2021)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2020

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2020-2021.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|---|----|--|
| Short title. | 1. | This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No. 4) Act, 2020. |
| Issue of Rs. 23,86,57,95,800 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2020-2021. | 2. | From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2020, amounting in the aggregate to the sums of Two Thousand Three Hundred Eighty Six Crore Fifty Seven Lakh Ninety Five Thousand Eight Hundred Rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2020-2021 in respect of services specified in column (2) of the Schedule. |
| Appropriation. | 3. | The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year. |

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		Total
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund (3)	
(1)	(2)				
			Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	2,07,39,00,200	2,07,39,00,200
01	General Administration	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
03	Police	Revenue	50,60,00,000	0	50,60,00,000
		Capital	6,51,,00,000	0	6,51,,00,000
10	Forest	Revenue	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department	Revenue	2,08,45,00,000	0	2,08,45,00,000
13	Agriculture	Revenue	42,00,00,000	0	42,00,00,000
19	Public Health and Family Welfare	Capital	13,28,00,000	0	13,28,00,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
24	Public works-roads and bridges	Revenue	100	0	100
		Capital	100	0	100
27	School education	Revenue	25,89,00,000	0	25,89,00,000
29	Administration of Justice and Elections	Revenue	100	100	200
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department	Revenue	74,00,000	0	74,00,000
33	Expenditure pertaining to Tribal welfare Department	Revenue	8,02,00,000	0	8,02,00,000
36	Transport	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	2,98,84,40,000	0	2,98,84,40,000
		Capital	300	0	300
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan- roads and bridges	Capital	200	0	200

(1)		(2)		(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
47	Man-Power Planning and Technical Education Department	Revenue	100	0	100
		Capital	200	0	200
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	1,62,68,37,000	0	1,62,68,37,000
		Capital	78,03,39,100	0	78,03,39,100
67	Public Works-Buildings	Capital	5,00,00,100	0	5,00,00,100
68	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-buildings	Capital	200	0	200
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		Capital	1,18,20,000	0	1,18,20,000
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	6,68,71,86,000	0	6,68,71,86,000
81	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	3,74,73,72,000	0	3,74,73,72,000
		Capital	29,00,00,000	0	29,00,00,000
Total		Revenue	20,46,18,35,300	2,07,39,00,300	22,53,57,35,600
		Capital	1,33,00,60,200	0	1,33,00,60,200
Grand Total			21,79,18,95,500	2,07,39,00,300	23,86,57,95,800